आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री सिद्धार्थ नौटियाल, न्यायिक सदस्य तथा
श्री बी.एम. बियाणी, लेखा सदस्य के समक्ष
आभासी (Virtual) सुनवाई के माध्यम से

आ.अ.सं. 102/इंदौर/2017
निर्धारण वर्ष : 2012-13

श्रीमती पारूल बंसल, भोपाल	बनाम	सहायक आयकर आयुक्त (सेंट्रल)-1, भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एकेवीपीजी 7378 एल		

अपीलार्थी की ओर से	श्री अनिल खाब्या, सीए
राजस्व की ओर से	श्री पी.के.मित्रा, आयकर आयुक्त विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	13.10.2022
उद्धघोषणा तिथि	17.10.2022

आदेश

श्री सिद्धार्थ नौटियाल, न्यायिक सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2012-13 से संबंधित निर्धारिती की उपरोक्त शीर्षक की अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-3, भोपाल के आदेश दिनांक 21.12.2016 के विरूद्ध निदेशित है, जो कि आयकर उपायुक्त (सेंट्रल), भोपाल द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के अधीन विरचित आदेश दिनांक 14.03.2014 से उद्भूत है ।

2. सुनवाई के दौरान, निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदन दिनांक 11.10.2022 के द्वारा निवेदन किया कि निर्धारिती ने "**विवाद से विश्वास योजना, 2020**" के अधीन आवेदन किया है । राजस्व विभाग द्वारा निर्धारिती का आवेदन स्वीकार किया गया है तथा विभाग द्वारा फार्म सं. 5 भी जारी किया गया है । निर्धारिती द्वारा फार्म सं. 5 की प्रति भी दाखिल

की गई है । अतः निर्धारिती वर्तमान अपील का अनुसरण करने की इच्छुक नही है । निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त कारण से वर्तमान अपील को वापिस लेने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया । विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने इस अनुरोध का विरोध नहीं किया है। अतः हम इस अपील को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करते है तथा इसे वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं ।

3. यद्यपि, निर्धारिती विधि के अनुसार, विनिहित अवधि के अंदर आदेश को वापिस बुलाने (recall) हेतु विविध आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगी यदि उसका इस योजना में भाग लेने हेतु किया गया आवेदन राजस्व द्वारा किसी कारण से अस्वीकृत किया जाता है ।

4. परिणामतः, निर्धारिती की अपील वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है ।

यह आदेश 17.10.2022 को आयकर अपीलीय अधिकरण नियम, 1963 के नियम 34 के अंतर्गत उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-	हस्ता/-
(बी.एम. बियाणी)	(सिद्धार्थ नौटियाल)
लेखा सदस्य	न्यायिक सदस्य

दिनांक : 17.10.2022

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल